

राजस्थान में जल जीवन मशिन घोटाला

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो \(CBI\)](#) ने राजस्थान में केंद्रपोषति [जल जीवन मशिन योजना](#) घोटाला मामले में [प्रथम सूचना रिपोर्ट \(FIR\)](#) दर्ज की है।

मुख्य बंदि:

- अधिकारियों के अनुसार, जयपुर स्थिति ठेकेदारों ने राज्ज के सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग वंभिग से नविदिाएँ प्राप्त करने के लयि कथति तौर पर [इंडियन रेलवे कंसट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड \(IRCON\)](#) द्वारा जारी फर्जी समापन प्रमाणपत्र का इस्तेमाल कयि।
- अगस्त 2023 में दर्ज आठ महीने से लंबति प्रारंभिक जाँच के नषिकर्ष के बाद CBI द्वारा कार्रवाई की गई।

जल जीवन मिशन (हर घर जल)

शुरुआत:

15 अगस्त, 2019



उद्देश्य:

- कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) के माध्यम से वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर जल उपलब्ध कराना।

क्रियान्वयन:

- जलशक्ति मंत्रालय: नोडल मंत्रालय
- पानी समितियाँ: गाँव में जलापूर्ति प्रणाली की योजना तैयार करना, उसका क्रियान्वयन करना, प्रबंधन और रख-रखाव करना।
- सदस्य: 10-15 (कम-से-कम 50% प्रतिशत महिलाएँ)

- गोवा तथा दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव (D-NH and D-D) देश में क्रमशः पहले 'हर घर जल' प्रमाणित राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हैं।

वित्तीयन प्रतिकरूप:

- केंद्र प्रायोजित योजना
 - केंद्र : हिमालयी तथा पूर्वोत्तर राज्य- 90:10
 - केंद्र : अन्य राज्य - 50:50
 - केंद्रशासित प्रदेशों के मामले में 100% केंद्र द्वारा

प्रमुख घटक:

- बॉटम-अप प्लानिंग
- महिला सशक्तीकरण
- भविष्य की पीढ़ियों पर विशेष ध्यान
- कौशल विकास और रोजगार सृजन
- धूसर जल का प्रबंधन
- स्रोत की संधारणीयता



//

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation- CBI)

- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation-CBI) भारत की एक प्रमुख अन्वेषण एजेंसी है।

- यह **केंद्रीय सतर्कता आयोग** और **लोकपाल** को सहायता प्रदान करता है।
- यह भारत सरकार के कार्मिक, पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग [जो प्रधानमंत्री कार्यालय (Prime Minister's Office-PMO) के अंतर्गत आता है] के अधीक्षण में कार्य करता है।
 - हालाँकि **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988** के तहत अपराधों के अन्वेषण के मामले में इसका अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission) के पास है।
- यह भारत की नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो **इंटरपोल** की ओर से इसके सदस्य देशों में अन्वेषण संबंधी समन्वय करती है।
- इसकी अपराध सदिधिदर (Conviction Rate) 65 से 70% तक है, अतः इसकी तुलना विश्व की सर्वश्रेष्ठ अन्वेषण एजेंसियों से की जा सकती है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट (First Information Report- FIR)

- प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) एक **लिखित दस्तावेज़** है जो पुलिस द्वारा तब तैयार किया जाता है जब उसे **किसी संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना** प्राप्त होती है।
- यह एक सूचना रिपोर्ट है जो समय पर सबसे पहले पुलिस तक पहुँचती है, इसीलिये इसे **प्रथम सूचना रिपोर्ट** कहा जाता है।
- यह आमतौर पर एक **संज्ञेय अपराध के शिकार व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा** पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत होती है। कोई भी व्यक्ति संज्ञेय अपराध की सूचना मौखिक या लिखित रूप में दे सकता है।
- FIR शब्द **भारतीय दंड संहिता (IPC), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973** या किसी अन्य कानून में परिभाषित नहीं है।
- हालाँकि पुलिस नियमों या कानूनों में **CrPC की धारा 154** के तहत दर्ज की गई जानकारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के रूप में जाना जाता है।
- FIR के **तीन महत्त्वपूर्ण तत्त्व** हैं:
 - जानकारी एक **संज्ञेय अपराध से संबंधित** होनी चाहिये।
 - यह सूचना लिखित या **मौखिक रूप में थाने के प्रमुख को दी जानी** चाहिये।
 - इसे **मुखबरी द्वारा लिखा और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिये** और इसके **प्रमुख बटुओं को दैनिक डायरी में दर्ज** किया जाना चाहिये।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/jal-jeevan-mission-scam-in-rajasthan>

